अति महत्वपूर्ण

सं0 ई. 11011/27/2019-हिन्दी/ 286

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम,
नई दिल्ली-110066

दिनांक: 30 अगस्त, 2022

परिपत्र

विषयः केंद्रीय जल आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सितम्बर, 2022 माह के दौरान राजभाषा हिंदी में कार्य करने के संबंध में।

भारत के संविधान द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, राजभाषा हिंदी में अपना सरकारी कामकाज करना और अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गया है। केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में हिंदी पखवाड़ा 14-29 सितंबर, 2022 के दौरान मनाया जाएगा। अतः आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिंदी के सम्यक अनुपालन तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उत्साहपूर्वक राजभाषा हिंदी में कार्य किया जाना अपेक्षित है।

इस संबंध में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेश दिया जाता है कि सितम्बर, 2022 माह (01 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2022 तक) के दौरान अपना समस्त सरकारी कार्य केवल हिंदी में ही करें। साथ ही, अनुभाग/निदेशालय प्रमुख अपने कार्मिकों को अपेक्षित दिशानिर्देश दें तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के सभी कंप्यूटरों पर हिंदी फोंट (यूनिकोड मंगल) की व्यवस्था कर दी गई है, जिसके माध्यम से अंग्रेजी की-बोर्ड पर ही हिंदी टाइपिंग की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, उच्चाधिकारी, उन्हें उपलब्ध कराए गए वॉइस टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या/कठिनाई होने पर एसएमडी/हिंदी अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है। हिंदी पखवाड़ा, 2022 के उपलक्ष्य में आयोग में राजभाषा हिंदी के सफल कार्यान्वयन हेतु उचित वातावरण का निर्माण होगा और इसका अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार होगा।

राकेश गुप्ता

(डॉ. आर.के. गुप्ता)
अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग

सभी अधिकारी/कर्मचारी (वेबसाइट के माध्यम से)।